

## संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- [mptownplan@mp.gov.in](mailto:mptownplan@mp.gov.in), Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/ #DocumentNumber#/स्था/नगानि/2026 भोपाल,दिनांक#ApprovedDate#

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-4 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई मेरिट/चयन सूची के आधार पर दिनांक 15.04.2026 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित श्री मोहित तिवारी, पुत्र श्री रामस्वरूप तिवारी (MOHIT TIWARI S/O SHRI RAMSWAROOP TIWARI) (ई.डब्ल्यू.एस/निल/ओपन) को सहायक ग्रेड-3 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 4 (19500-62000) पर मूल वेतन 19500/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मण्डल भोपाल में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 19500/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेंगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
6. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियुक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।

7. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
8. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ 05 वर्ष की संविदा सेवा एवं नियमित पद के समकक्षता का प्रमाण पत्र/ भूतपूर्व सैनिक सेवा का प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
9. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप समाप्त माना जावेगा।
10. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
12. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

Digitally signed by  
 आयुक्त सह संचालक  
 नगर तथा ग्राम निवेश  
 म.प्र. भोपाल  
 Date: 29-08-2026  
 14:25:00.

पृ.क्रमांक/#DocumentNumber#/नगानि/स्था/2026 भोपाल, दिनांक#ApprovedDate#

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सालय 1250 जिला भोपाल
4. कोषालय अधिकारी विंध्याचल भवन भोपाल ।
5. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
6. लेखा कक्ष संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. श्री मोहित तिवारी, पुत्र श्री रामस्वरूप तिवारी, निवासी- आई-62, ई-8 गर्वमेन्ट क्वाटर्स, भरत नगर, भोपाल (मोप्र0) 462039 मोबाईल नम्बर 9074149746
8. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड हेतु
9. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।

## संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- [mptownplan@mp.gov.in](mailto:mptownplan@mp.gov.in), Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/ #DocumentNumber#/स्था/नगानि/2026 भोपाल,दिनांक#ApprovedDate#

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-4 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई मेरिट/चयन सूची के आधार पर दिनांक 15.04.2026 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित श्री प्रियांशु जायसवाल, पुत्र श्री नर्मदा प्रसाद जायसवाल (**PRIYANSHU JAISWAL S/O SHRI NARMADA PRASAD JAISWAL**) (अन्य पिछड़ा वर्ग/निल/ओपन) को सहायक ग्रेड-3 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 4 (19500-62000) पर मूल वेतन 19500/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 भोपाल में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 19500/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
6. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियुक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल  
Email- [mptownplan@mp.gov.in](mailto:mptownplan@mp.gov.in), Phone No. 0755-2427091-96  
क्रमांक/ #DocumentNumber# /सथा/नगानि/2026 भोपाल,दिनांक# ApprovedDate#  
//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-4 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई मेरिट/चयन सूची के आधार पर दिनांक 15.04.2026 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित अंकिता नरवारिया, पुत्री श्री विश्वनाथ सिंह (ANKITA NARWARIYA D/O SHRI VISHWANATH SINGH) (अन्य पिछड़ा वर्ग/निल/महिला) को सटेनोटयपिस्ट के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 4 (19500-62000) पर मूल वेतन 19500/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर, कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, नर्मदापुरम में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 19500/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवाएँ बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
6. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियुक्ता द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवाएँ समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।
7. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।

8. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ 05 वर्ष की संविदा सेवा एवं नियमित पद के समकक्षता का प्रमाण पत्र/ भूतपूर्व सैनिक सेवा का प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
9. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप समाप्त माना जावेगा।
10. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
12. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

Digitally signed by आयुक्त सह संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
Kaushendra Vikram Singh  
म.प. भोपाल  
Date: 29-05-2026  
14:24:07

पृ.क्रमांक/I/510400/2026 /नगानि/स्था/2026भोपाल,

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सालय जिला नर्मदापुरम
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, नर्मदापुरम ।
6. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
7. अंकिता नरवारिया, पुत्री श्री विश्वनाथ सिंह, निवासी- वार्ड नम्बर 3, ग्राम मानपुरा, पोस्ट जामना भिण्ड, (म0प्र0) 477001 मोबाईल नम्बर 7772084741
8. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड हेतु
9. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।

## संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- [mptownplan@mp.gov.in](mailto:mptownplan@mp.gov.in), Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/ #DocumentNumber# /स्था/नगानि/2026 भोपाल,दिनांक#ApprovedDate#

## //कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-4 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई मेरिट/चयन सूची के आधार पर दिनांक 15.04.2026 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित श्री बाबू सिंघल, पुत्र श्री शिवकुमार सिंघल (BOBY SINGHAL S/O SHRI SHIVKUMAR SINGHAL) (ई.डब्ल्यू.एस/निल/ओपन) को सटेनोटयपिस्ट के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 4 (19500-62000) पर मूल वेतन 19500/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भततों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर, कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रतैलाम में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 19500/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेंगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में शर्तें जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
6. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियुक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।

7. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
8. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ 05 वर्ष की संविदा सेवा एवं नियमित पद के समकक्षता का प्रमाण पत्र/ भूतपूर्व सैनिक सेवा का प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
9. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप समाप्त माना जावेगा।
10. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
12. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

Digitally signed by  
Kaushlendra Vikram Singh  
Date: 29-05-2026

आयुक्त सह संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक/1/510399/2026/नगानि/स्था/2026 भोपाल,दिनांक29-05-2026

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सालय जिला रतलाम
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रतलाम ।
6. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
7. श्री बाँबी सिंघल, पुत्र श्री शिवकुमार सिंघल, निवासी- वार्ड नम्बर 4, सडक मोहल्ला ग्राम पहाडगढ, तहसील जौरा, जिला मुरैना (म0प्र0) 476221 मोबाईल नम्बर 9907564335
8. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड हेतु
9. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।

## संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- [mptownplan@mp.gov.in](mailto:mptownplan@mp.gov.in), Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/ #DocumentNumber#स्था/नगानि/2026 भोपाल,दिनांक#ApprovedDate#

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-4 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई मेरिट/चयन सूची के आधार पर दिनांक 15.04.2026 को सपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित श्री शिवाजी कौरव, पुत्र श्री जंदेल सिंह कौरव (SHIVAJEE KAURAV S/O SHRI JANDEL SINGH KAURAV) (ओ.बी.सी/निल/ओपन) को सटोरकीपर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 5 (22100-70000) पर मूल वेतन 22100/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर, कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इन्दौर में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 19500/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
6. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियुक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।

7. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
8. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ 05 वर्ष की संविदा सेवा एवं नियमित पद के समकक्षता का प्रमाण पत्र/ भूतपूर्व सैनिक सेवा का प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
9. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप समाप्त माना जावेगा।
10. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
12. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अनन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

आयुक्त सह संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश

Digitally signed by  
Kaushlendra Vikram Singh  
Date: 29-05-2026

म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक/ #DocumentNumber# /नगानि/संस्था/2026 भोपाल,दिनांक# ApprovedDate #

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इन्दौर ।
5. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
6. श्री शिवाजी कौरव, पुत्र श्री जंदेलसिंह कौरव निवासी- ग्राम बूढा, तहसील सिलवानी, पो बनहोरी, जिला रायसेन (म0प्र0) 464886 मोबाईल नम्बर 8305536805
7. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड हेतु
8. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।

## संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- [mptownplan@mp.gov.in](mailto:mptownplan@mp.gov.in), Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/ #DocumentNumber# /स्था/नगानि/2026 भोपाल,दिनांक29-05-2026

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-4 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई मेरिट/चयन सूची के आधार पर दिनांक 15.04.2026 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित श्री सौरभ श्रीवास्तव, पुत्र श्री रामभूषण (SOURABH SHRIVASTAVA S/O SHRI RAMBHUSHAN) (ई.डब्ल्यू.एस/संविदाकर्म/ओपन) को सहायक ग्रेड- 3 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 4 (19500-62000) पर मूल वेतन 19500/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 भोपाल में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 19500/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
6. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियुक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।

7. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
8. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ 05 वर्ष की संविदा सेवा एवं नियमित पद के समकक्षता का प्रमाण पत्र/ भूतपूर्व सैनिक सेवा का प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
9. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप समाप्त माना जावेगा।
10. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
12. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

Digitally signed by आयुक्त सह संचालक  
Kaushendra V. नगर तथा ग्राम निवेश  
Date: 29-05-2026  
14:21:53 म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक/ #DocumentNumber# /नगानि/स्था/2026 भोपाल, दिनांक# ApprovedDate #

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सालय 1250 जिला भोपाल
4. कोषालय अधिकारी विंध्याचल भवन भोपाल ।
5. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
6. लेखा कक्ष संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. श्री सौरभ श्रीवास्तव, पुत्र श्री रामभूषण, निवासी- मकान न. 134, ग्राम घाना बहेडिया, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन (म0प्र0) 464770 मोबाईल नम्बर 9907077582
8. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड हेतु
9. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।

## संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- [mptownplan@mp.gov.in](mailto:mptownplan@mp.gov.in), Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक / #DocumentNumber# /स्था/नगानि/2026भोपाल,दिनांक#ApprovedDate#

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-4 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई मेरिट/चयन सूची के आधार पर दिनांक 15.04.2026 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित सुश्री पूजा ठाकुर, पुत्री श्री भरत सिंह ठाकुर (POOJA THAKUR D/O SHRI BHARAT SINGH THAKUR) (अनारक्षित/निल/ओपन) को स्ट्रेनोटायपिस्ट के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 4 (19500-62000) पर मूल वेतन 19500/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर, कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सतना में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 19500/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवाएँ बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
6. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियुक्ता द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवाएँ समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।

7. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
8. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ 05 वर्ष की संविदा सेवा एवं नियमित पद के समकक्षता का प्रमाण पत्र/ भूतपूर्व सैनिक सेवा का प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
9. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप समाप्त माना जावेगा।
10. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
12. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

## आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

Digitally signed by  
Kaushlendra Vikram Singh म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक/ # DocumentNumber# /नगानि/सधा/2026 भोपाल, दिनांक # ApprovedDate #  
14:21:12

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सालय जिला सतना
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, सतना ।
6. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
7. पूजा ठकुर, पुत्री श्री भरत सिंह ठकुर, निवासी- ग्राम पोस्ट बरौदा, रेहली रोड, सागर (म0प्र0) 470001 मोबाईल नम्बर 6265190417
8. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड हेतु
9. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।

## संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- [mptownplan@mp.gov.in](mailto:mptownplan@mp.gov.in), Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/ #DocumentNumber# /स्था/नगानि/2026 भोपाल,दिनांक#ApprovedDate#

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-4 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई मेरिट/चयन सूची के आधार पर दिनांक 15.04.2026 को सपनेन विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित श्री गजपाल बुंदेला, पुत्र श्री कालू सिंह बुंदेला (GAJPAL BUNDELA S/O SHRI KALUSINGH BUNDELA) (अनुसूचित जनजाति/संविदाकर्म/ओपन) को स्टैनोटायपिस्ट के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 4 (19500-62000) पर मूल वेतन 19500/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर, कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, नीमच में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 19500/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
6. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियुक्ता द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।

7. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
8. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ 05 वर्ष की संविदा सेवा एवं नियमित पद के समकक्षता का प्रमाण पत्र/ भूतपूर्व सैनिक सेवा का प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
9. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप समाप्त माना जावेगा।
10. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
12. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

Digitally signed by  
**आयुक्त सह संचालक** Kaushendra Vikram Singh  
 नगर तथा ग्राम निवेश Date: 29-05-2026  
 म.प्र. भोपाल 14:20:22

पृ.क्रमांक/1/510395/2026 /नगानि/स्था/2026 भोपाल, दिनांक 29-05-2026

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सालय नीमच
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, नीमच।
6. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
7. श्री गजपाल बुंदेला, पुत्र श्री कालू सिंह बुंदेला, निवासी- 143, नवकार कॉलोनी, धार रोड, मनावार, जिला धार (म0प्र0) 454446 मोबाईल नम्बर 9755427322
8. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड हेतु
9. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।

## संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- [mptownplan@mp.gov.in](mailto:mptownplan@mp.gov.in), Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/ #DocumentNumber# /स्था/नग्रानि/2026 भोपाल,दिनांक# ApprovedDate#

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-4 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई मेरिट/चयन सूची के आधार पर दिनांक 15.04.2026 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित श्री राकेश सौराष्ट्रीय, पुत्र श्री मगनलाल सौराष्ट्रीय (RAKESH SOURASHTRIYA S/O SHRI MAGANLAL SOURASHTRIYA) (अनुसूचित जाति/निल/ओपन) को सटेनोटायपिस्ट के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 4 (19500-62000) पर मूल वेतन 19500/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर, कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, देवास में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 19500/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टाचपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेंगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
6. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियुक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।

7. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
8. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ 05 वर्ष की संविदा सेवा एवं नियमित पद के समकक्षता का प्रमाण पत्र/ भूतपूर्व सैनिक सेवा का प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
9. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप समाप्त माना जावेगा।
10. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
12. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

**आयुक्त सह संचालक**  
नगर तथा ग्राम निवेश  
म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक/ #DocumentNumber# /नगानि/स्था/2026 भोपाल,दिनांक# ApprovedDate#

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, देवास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सालय, देवास
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, देवास ।
6. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
7. श्री राकेश सौराष्ट्रीय, पुत्र श्री मगनलाल सौराष्ट्रीय, निवासी- वार्ड न. 17, ग्राम पोस्ट लडावद, जिला शाजापुर (म0प्र0) 465220 मोबाईल नम्बर 7804076032
8. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड हेतु
9. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।

## संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- [mptownplan@mp.gov.in](mailto:mptownplan@mp.gov.in), Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/ #DocumentNumber# /स्था/नगानि/2026 भोपाल,दिनांक#ApprovedDate#

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-4 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई मेरिट/चयन सूची के आधार पर दिनांक 15.04.2026 को सपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित सुश्री सुषमा मिथोरिया, पुत्री श्री मोहन लाल मिथोरिया (SHUSHMA MITHORIA D/O SHRI MOHAN LAL MITHORIA) (अनुसूचित जाति/संविदाकर्मी/महिला) को स्ट्रेनोटायपिस्ट के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 4 (19500-62000) पर मूल वेतन 19500/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 भोपाल में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 19500/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
6. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियुक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।

7. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
8. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ 05 वर्ष की संविदा सेवा एवं नियमित पद के समकक्षता का प्रमाण पत्र/ भूतपूर्व सैनिक सेवा का प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
9. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप समाप्त माना जावेगा।
10. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
12. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

**आयुक्त सह संचालक**  
नगर तथा ग्राम निवेश  
म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक/I/510152/2026 /नग्रानि/स्था/2026 भोपाल, दिनांक 26-05-2026

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सालय 1250 जिला भोपाल
4. कोषालय अधिकारी विंध्याचल भवन भोपाल ।
5. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
6. लेखा कक्ष संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सुश्री सुषमा मिथोरिया, पुत्री श्री मोहन लाल मिथोरिया, निवासी- आई-125/15, शिवाजी नगर, 7 नम्बर सागर गैरे, भोपाल (म0प्र0) 462016 मोबाईल नम्बर 6260893850
8. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड हेतु
9. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- [mptownplan@mp.gov.in](mailto:mptownplan@mp.gov.in), Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/#DocumentNumber#/स्था//नगानि/2026 भोपाल,दिनांक# ApprovedDate#

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-4 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई मेरिट/चयन सूची के आधार पर दिनांक 15.04.2026 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित श्री मयंक सोनी, पुत्र श्री महेश सोनी (SHRI MAYANK SONI S/O SHRI MAHESH SONI) (अनारक्षित/निल/ओपन) को निज सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 7 (28700-91300) पर मूल वेतन 28700/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भततों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर, कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रीवा में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 28700/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भतते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेंगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भतते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
6. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियुक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।

7. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
8. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ 05 वर्ष की संविदा सेवा एवं नियमित पद के समकक्षता का प्रमाण पत्र/ भूतपूर्व सैनिक सेवा का प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
9. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप समाप्त माना जावेगा।
10. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
12. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

आयुक्त सह संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक/1/510151/2026/स्था/2026 भोपाल,दिनांक26-05-2026

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सालय, जिला रीवा।
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रीवा ।
6. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
7. श्री मयंक सोनी, पुत्र श्री महेश सोनी, निवासी- गोविंद वल्लभ पंत वाई, 23 पुराना बाजार, न. 02, केबीएल गुरु के पास, दमोह (म0प्र0) 470661 मोबाईल नम्बर 8770733237
8. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड हेतु
9. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।

## संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- [mptownplan@mp.gov.in](mailto:mptownplan@mp.gov.in), Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/#DocumentNumber#स्था/नगानि/2026 भोपाल,दिनांक#ApprovedDate#

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-4 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई मेरिट/चयन सूची के आधार पर दिनांक 15.04.2026 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित श्री नितिन असाठी, पुत्र श्री ठाकुर दास असाठी (NITIN ASATI S/O SHRI THAKUR DAS ASATI) (ई.डब्ल्यू.एस/निल/ओपन) को स्टोरकीपर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 5 (22100-70000) पर मूल वेतन 22100/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर, कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रीवा में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 19500/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवाएँ बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
6. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियुक्ता द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवाएँ समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।

7. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
8. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ 05 वर्ष की संविदा सेवा एवं नियमित पद के समकक्षता का प्रमाण पत्र/ भूतपूर्व सैनिक सेवा का प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
9. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप समाप्त माना जावेगा।
10. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
12. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

**आयुक्त सह संचालक**  
नगर तथा ग्राम निवेश  
म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक/#DocumentNumber#/नगानि/स्था/2026 भोपाल,दिनांक#ApprovedDate#

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, रीवा. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सालय, जिला रीवा।
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रीवा ।
6. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
7. श्री नितिन असाठी, पुत्र श्री ठकुर दास असाठी, निवासी- टण्डन बगीचा, गली नम्बर 3, दमोह (म0प्र0) 470661 मोबाईल नम्बर 9584099623
8. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाइट पर अपलोड हेतु
9. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।

## संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- [mptownplan@mp.gov.in](mailto:mptownplan@mp.gov.in), Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/ #DocumentNumber# /स्था/नगानि/2026 भोपाल,दिनांक#ApprovedDate#

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-4 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई मेरिट/चयन सूची के आधार पर दिनांक 15.04.2026 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित श्री सुरेन्द्र कुमार यादव, पुत्र श्री देवकी नंदन यादव (SURENDRA KUMAR YADAV S/O SHRI DEVKI NANDAN YADAV) (अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/ओपन) को सहायक ग्रेड-3 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 4 (19500-62000) पर मूल वेतन 19500/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर, कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रीवा में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 19500/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवार्य समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवार्य बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवार्य तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
6. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियुक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवार्य समाप्त की जायेगी, तथा किये

- गये भुगतान की वसूली की जायेगी।
7. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
  8. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ 05 वर्ष की संविदा सेवाएं एवं समकक्षता का प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
  9. संबंधित की भूतपूर्व सैनिक सेवा का सत्यापन निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड, मध्यप्रदेश से कराया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
  10. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप समाप्त माना जावेगा।
  11. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
  12. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
  13. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

**आयुक्त सह संचालक**  
नगर तथा ग्राम निवेश  
म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक / #DocumentNumber# /नगानि/स्था/2026 भोपाल,दिनांक#ApprovedDate#

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रीवा।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सालय जिला रीवा
5. कोषालय अधिकारी जिला रीवा।
6. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल
7. श्री सुरेन्द्र कुमार यादव, पुत्र श्री देवकी नंदन यादव, निवासी- मकान न. 200, वार्ड 09, पृथ्वीपुर जिला निवाडी (म0प्र0) 472336 मोबाईल नम्बर 9991113901
8. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड हेतु
9. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।

## संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- [mptownplan@mp.gov.in](mailto:mptownplan@mp.gov.in), Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/ #DocumentNumber# /स्था/नगानि/2026 भोपाल,दिनांक#ApprovedDate#

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-4 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई मेरिट/चयन सूची के आधार पर दिनांक 15.4.2026 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित सुश्री हिमानी शर्मा, पुत्री श्री रविन्द्र शर्मा (HIMANI SHARMA D/O SHRI RAVINDRA SHARMA) (ई.डब्ल्यू.एस/निल/महिला) को सहायक ग्रेड-3 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 4 (19500-62000) पर मूल वेतन 19500/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मओप्र भोपाल में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 19500/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
6. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियुक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।

7. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
8. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ 05 वर्ष की संविदा सेवा एवं नियमित पद के समकक्षता का प्रमाण पत्र/ भूतपूर्व सैनिक सेवा का प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
9. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप समाप्त माना जावेगा।
10. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
12. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

Digitally **आयुक्त सह संचालक**  
 Kaushlen **नगर तथा ग्राम निवेश**  
 Date: 29-05-2026 **भोपाल**

पृ.क्रमांक/#DocumentNumber#/नगानि/स्था/2026 भोपाल दिनांक#ApprovedDate#

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सालय 1250 जिला भोपाल
4. कोषालय अधिकारी विंध्याचल भवन भोपाल ।
5. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
6. लेखा कक्ष संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. हिमानी शर्मा, पुत्री श्री रविन्द्र शर्मा, निवासी- ग्राम पिपरवा, पोस्ट डिपेरा, तहसील कैलारस, जिला मुरैना (म0प्र0) 476224 मोबाईल नम्बर 8103495019
8. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड हेतु
9. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।